

अंत्योदय-सरल



भवन तथा अन्य निर्माण संकर्म कर्मकार बोर्ड निशक्तता पेंशन—हरियाणा भवन तथा अन्य निमार्ण संकर्म कर्मकार बोर्ड (योजना)

पात्रता :

- 1. पंजीकृत कर्मकार की नियमित सदस्यता कम से कम 3 वर्ष होनी चाहिए।
- 2. आवेदक हरियाणा सरकार के किसी विभाग/बोर्ड/निगम से निशक्तता पेंशन नहीं लेता हो।

उपलब्ध करवाये जाने लाभ :

1. रू० 3000 / - प्रति मास

आवश्यक दस्तावेज :

- 1. निशक्तता प्रमाण-पत्र
- 2. पहचान / नागरिकता का सबूत : आधार कार्ड

सेवा के लिए फीसें :

सरकारी प्रभार	सेवा प्रभार	अटल सेवा केन्द्र सेवा प्रभार
आजीवन में एक बार पंजीकरण फीस रू0	रू0 10 ∕ –	रू0 10 ∕ —
25 / — और रू० 5 / — प्रति मास (रू०		
60 / — प्रतिवर्ष) अंशदान फीस के रूप में		
लाभार्थी द्वारा बोर्ड को भुगतान की जाएगी।		

सेवा का अधिकार समय सीमा 90 दिन